धोषणा—पत्र (अ) (नियोजक / सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1.			पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री		
	उम्रवर्ष निवासी (ग्राम पंचायत / वार्ड / पंचायत	त समिति / नगर पालिका) व	जिला	का रा	हने
	वाला हूं। मेरे आधार नम्बर/भामाशाह नम्बर एवं मोबाईल नम्बर हैं।				
2.	यह कि, मुझ धोषणाकर्ता ने वार्ड र पंचायत समिति/नगर पालिका वार				
	स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य				* **
3.	मेरे द्ववारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमित लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण करवाया गया हैं। मेरे दवारा कुलसे दिनांकसे दिनांकसे				
	के मध्य कराया गया जिसके निमाण / नवीनीकरण में कुल अनुमानित रूपयें की लागत आई				
	हैं। इस पर मेरे दवारा निमार्ण सेस का भुगतान किया गया / देय नही हैं।				
4.	यह कि मुझ श्रीमति पत्नी				
	श्रीमतिपत्नी / पुत्र				
5.	का कार्य किया हैं। यह है कि उपरोक्त श्रमिकों को बेर	नदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे	अधीन करने पर रूप	ायें प्रतिदिन	के
	हिसाब से कार्य किया है। एवं उक्त श्रमिक का मेरे दवारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया हैं। वर्तमान मे उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं हैं।				
6.	यह कि मेरे दवारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/ निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णत सही हैं। प्रमाण				
	-पत्र का विभागीय अधिकारीयों दवारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरूध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण				
	रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण -पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक दवारा				
	प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिकसे कराने हेतू मैं बाध्य रहूंगा।				
	हस्ताक्षर		10	अंगुठे का निशान	
	(नियोजक / सम्पति मालिक)		(निर	योजक / सम्पति मालिक)	ĺ
	दिनांक/		स्थान:		

प्रार्थी के हस्ताक्षर